

DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
BLOCK NO. 9, OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. F.9(15)/DIP/Estt./V.S./2025/ 1394

Dated: 24/03/2025

To


The Deputy Secretary (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Government of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054

Sub: **Answer of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 127 raised by Sh. Jitendra Mahajan, Hon'ble Member of Legislative Assembly -reg**

Sir,

Please find enclosed herewith the answer of Vidhan Sabha Unstarred Question no. 127 raised by Sh. Jitendra Mahajan, Hon'ble Member of Legislative Assembly due for answer on 26.03.2025.

This issues with the prior approval of Hon'ble Chief Minister.


24/03/25

(Rajesh Shankar)
Dy. Director (DIP)

Encl:- As above

सूचना एवं प्रचार निदेशालय,
पुराना सचिवालय, ब्लॉक-9, दिल्ली-110054।

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या:-127

दिनांक:-26 मार्च 2025

प्रश्नकर्ता का नाम:-श्री जितेन्द्र महाजन

प्रश्न	उत्तर
(क) पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने कितना पैसा मीडिया संस्थानों को विज्ञापन देने में खर्च किया है, संस्थानों के नाम के साथ दिये गये विज्ञापन राशि की सूची उपलब्ध कराई जाए;	01. 2014-15- 14.53 करोड़ 02. 2015-16 - 85.93 करोड़ 03. 2016-17- 71.67 करोड़ 04. 2017-18- 122.24 करोड़ 05. 2018-19- 50.88 करोड़ 06. 2019-20- 199.99 करोड़ 07. 2020-21- 293.20 करोड़ 08. 2021-22- 568.39 करोड़ 09. 2022-23- 186.28 करोड़ 10. 2023-24- 26.23 करोड़ विज्ञापन पर खर्च की गई राशि का विवरण संस्थानों के नाम के अनुसार उपलब्ध नहीं है।
(ख): दिल्ली सरकार की मीडिया एकेडिटेशन कमेटी एवं उसके मेंबर्स की नियुक्ति के क्या मापदंड हैं;	दिल्ली सरकार की मीडिया एकेडिटेशन कमेटी एवं उसके मेंबर्स की नियुक्ति दिल्ली प्रैस प्रत्यायन नियमावली के बिन्दु (4); जिसमें (4.1) से लेकर (4.5) में वर्णित है, के अनुसार करने का प्रावधान हैं। (प्रति संलग्न)
(ग) दिल्ली सरकार कौन-सी मीडिया एकेडिटेशन गाइडलाइन के तहत पत्रकारों को मान्यता देती है, इसकी क्या गाइडलाइन है, पूर्ण विवरण दें	दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली प्रैस प्रत्यायन नियमावली के अनुसार पत्रकारों को मान्यता देने का प्रावधान है।(प्रति संलग्न है।)

21/03/25
हस्ताक्षर

उप-निदेशक(सूचना एवं प्रचार)

दिल्ली राजापत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारण
EXTRAORDINARY

सं. 142]

No. 142]

दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 1986/भाद्रपद 20, 1908

DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 1986/BHADRA 20, 1908

भाग IV
PART IV

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

जन-सम्पर्क विभाग

दिल्ली, 11 सितम्बर 1986

अधिसूचना

सं. फा.-2/22/86-ज.स.वि.- संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक
दिल्ली प्रेस प्रत्यायन समिति का पठन एवम संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के अन्दर
प्रचार माध्यमों के प्रतिनिधियों के लिए निम्नलिखित नियम अर्थात :-

प्रेस प्रत्यायन नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक :

ये नियम दिल्ली प्रेस प्रत्यायन नियम 1986 कहे जायेंगे।

2. प्रारम्भ :

2.1 ये नियम तत्काल प्रभावी होंगे।

2.2 ये नियम केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा
समाचार संगठनों/संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान
करने से सम्बंधित हैं।

2.3 ये नियम दिल्ली प्रशासन द्वारा समाचार संगठनों/संचार
माध्यमों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने से सम्बंधित समस्त
विच्छेद नियमों का अधिग्रहण करेंगे, लेकिन पहले से प्रत्यायित प्रतिनिधि
उसी रूप में रहेंगे, जब तक नये नियमों के अनुसार दिल्ली प्रेस प्रत्यायन
समिति द्वारा कोई समीक्षा नहीं की जाती।

2.4 संतोषजनक इन शर्तों में, दिल्ली प्रेस प्रत्यायन समिति के दो-
तिहाई सदस्यों की सिफारिश पर, संशोधन/परिवर्तन/संशोधन/वृद्धि की जा
सकती है, यदि इस आशय का प्रस्ताव इसके तीन सदस्यों द्वारा या निदेशक,
सूचना एवं प्रचार द्वारा किया जाता है।

184 DG/86-1

3. परिभाषाएं :

3.1 प्रशासक का अर्थ दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक जिसकी
नियुक्ति भारत के संविधान की धारा 239 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति
द्वारा की जाती है।

3.2 इन नियमों में दिल्ली प्रेस प्रत्यायन समिति से अभिप्राय दिल्ली
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा समाचार संगठनों/संचार माध्यमों के
प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने से सम्बंधित नियुक्त समिति है।

3.3 समाचार पत्र से अभिप्राय निश्चित अन्तराल पर छपने तथा
वितरित किया जाने वाला प्रकाशन, जिसमें प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण
अधिनियम, 1867 में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार समाचार तथा जनहित
की टिप्पणियां हैं, लेकिन इसमें धर्म विशेष के हितों की सूचनाओं से
सम्बंधित प्रकाशन जैसे किसी संस्था की पत्रिकाएं आदि शामिल नहीं हैं।

3.4 संचार माध्यमों में, जनहित के समाचारों या जनहित के
समाचारों पर टिप्पणियों का कार्य करने वाली तार सेवा, बेतार सेवा
और अन्य तथा दृश्य श्रव्य व्यवस्था वाले संगठन शामिल होंगे।

3.5 सूचना एवं प्रचार निदेशक से अभिप्राय सूचना एवं प्रचार निदेशक,
दिल्ली प्रशासन है, जिसे इसके पश्चात् सू. प्र. निदेशक कहा जायेगा।

3.6 कार्यरत पत्रकार से अभिप्राय समय समय पर यथा संशोधित
कार्यरत पत्रकार सेवा शर्तों एवं विधि उपबन्ध अधिनियम, 1955 में
यथा परिभाषित पत्रकार है।

3.7 प्रत्यायन से अभिप्राय प्रशासक द्वारा प्रशासन में सूचना तलों
तथा सूचना एवं प्रचार निदेशालय तथा/या दिल्ली प्रशासन की दूसरी
एजेंसियों द्वारा लिखित या चित्रित समाचार सामग्री/जानकारी प्राप्त करने
के लिए संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को मान्यता।

(1)

4. दिल्ली प्रेस प्रत्यायन समिति का गठन तथा कार्य निष्पादन

4.1. प्रशासक इत निम्नवाली में उल्लिखित कार्यों के निष्पादन के लिए दिल्ली प्रेस प्रत्यायन समिति (इसके परचात दि. प्र. प्र. स. कहा जाएगा) का गठन करेगा।

4.2. इस समिति के सदस्य भारतीय प्रेस परियद या पत्र सूचना कार्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त कार्यरत पत्रकारों और सम्पादकों के संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। प्रशासक समय-समय पर अपने निर्णय अनुसार ऐसे अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सदस्यता के लिए आमंत्रित कर सकता है।

4.3. सूचना एवं प्रचार निदेशक दि. प्र. प्र. स. को बैठक बुलाएगा तथा उसके कार्यों तथा कार्यवाहियों का सारा रिकार्ड रखेगा। पहली बैठक में दि. प्र. प्र. स. के सदस्य अपना अध्यक्ष चुनेंगे जो अगली बैठकों में अध्यक्षता करेंगे। पहली बैठक की अध्यक्षता अत्यंत ही तौर पर चुने गए अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

4.4. दि. प्र. प्र. स. का कार्यकाल इसकी अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष के लिए होगा।

4.5. दि. प्र. प्र. स. की बैठक हर दो महीने में कम से कम एक बार या यदि सूचना एवं प्रचार निदेशक द्वारा आवश्यक लगता जायेगा तो उससे जल्दी भी बैठक बुलाई जा सकती है।

5. प्रत्यायन

5.1. इन नियमों के अनुसार निम्नलिखित वर्गों:-

सम्पादक-संवाददाता, संवाददाता, कैमरा मैन, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, खेल पत्रकार, विज्ञान पत्रकार, संचार माध्यम शालोचक तथा दि. प्र. प्र. स. द्वारा समय-समय पर संस्तुत इसी प्रकार के अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन दिया जा सकेगा।

5.2. यह प्रत्यायन किसी समाचार पत्र प्रतिनिधि की आधिकारिक या विशेष पद प्रदान नहीं करता, अपितु सार्वजनिक हित के समाचारों से सम्पर्क रखने वाले शवावताधिक पत्रकार के रूप में उसे मान्यता देता है।

5.3. इस प्रत्यायन का उपयोग केवल पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

5.4. प्रत्यायन प्राप्त प्रतिनिधि प्रवेश पत्र, सेंटर हूड या व्यक्तिगत स्टेशनरी या अन्य दूसरे साहित्य पर "दिल्ली प्रशासन से प्रत्यायन प्राप्त" शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा।

5.5. जब कोई प्रत्यायन प्राप्त प्रतिनिधि किसी संचार संगठन का प्रतिनिधित्व करना बन्द कर देता है तो वह तथ्य प्रतिनिधि तथा संगठन के सम्पादकीय विभाग के अध्यक्ष दोनों द्वारा एक महीने के अन्दर सूचना एवं प्रचार निदेशक की जानकारी में लाया जायेगा तथा प्रत्यायन फार्ड सूचना एवं प्रचार निदेशक को लौटाया जायेगा।

5.6. यदि यह संस्था, जिसकी ओर से प्रतिनिधि को प्रत्यायन दिया गया था, प्रकाशन बन्द कर देती है या उस का नेटवर्क कार्य करना बन्द कर देता है (औद्योगिक विवाद या प्राकृतिक आपदाओं के कारणों से थोड़े समय को छोड़कर) तो मान्यता वापिस ले ली जायेगी।

5.7. किसी समाचार संगठन/संचार माध्यम के लिए प्रत्यायन हेतु अधिकतम प्रतिनिधियों की संख्या इस निम्नवाली के साथ संगठन अनुसूची में दिए गए नियमों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

5.8. प्रत्यायन प्राप्त प्रतिनिधि को अधिक से अधिक किसी एक अन्य समाचार संगठन की ओर से प्रत्यायित किया जा सकता है।

6. समाचार एजेंसियों के लिए मानदंड :

6.1. समाचार एजेंसियों, समाचार फोटो एजेंसियों तथा रेडियो तथा दूरदर्शन समाचार के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड को ध्यान में रखा जायेगा :-

(क) उक्त एजेंसियों को प्रचार सामग्री में दिल्ली प्रशासन से संबंधित समाचार तथा सूचनाएँ होनी चाहिए।

(ख) समाचार एजेंसी को डाक, तार या इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण एवं पहलु सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए तथा कम से कम 6 राज्यों में भुगतान करने वाले 12 अंशदाताओं से अंशदान प्राप्त होता हो।

(ग) समाचार फोटो एजेंसी के कम से कम छः भुगतान करने वाले अंशदाता होने चाहिए तथा न्यूनतम 15 हजार रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी टेलीविजन एजेंसी की आय न्यूनतम 30000 रुपये होनी चाहिए तथा यह किसी प्रख्यात चार्टर्ड लेखाकारों की फर्म द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

(घ) तार एजेंसियों समाचार संगठनों को, जिसमें अध्यक्ष-सूच्य नेटवर्क शामिल है, नियमित व्यवसायिक आधार पर सेवा उपलब्ध कराती हों, तथा ये अपनी आय के बारे में चार्टर्ड लेखाकारों को विज्ञापन फर्म से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी।

7. समाचार पत्रों के लिए मानदंड :

7.1. दैनिक तथा साप्ताहिक अवधि वाले समाचार पत्र अपने कार्यरत पत्रकारों को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार मान्यता दिला सकते हैं :-

(क) समाचार पत्रों को सानग्री में किसी प्रशासन से प्राप्त होने वाली सूचनाएँ तथा समाचार शामिल होने चाहिए तथा मुख्यतः सततमानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा जनहित के अन्य विषयों पर सूचना तथा/या टिप्पणी, क्लक, उधारण आदि होंगे।

(ख) दैनिक समाचारपत्र सप्ताह में छः दिन से कम नहीं छपना चाहिए।

(ग) एक साप्ताहिक समाचार पत्र वर्ष में 45 सप्ताहों से कम नहीं छपना चाहिए।

(घ) समाचार पत्र (दैनिक या साप्ताहिक) का वितरण 3000 प्रतिपा प्रति प्रकाशन दिवस या प्रति अंश से कम नहीं होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त प्रचार संस्था वाले दो या अधिक समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का वितरण 5000 या इससे अधिक हो तो वे एक प्रतिनिधि प्रायोजित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समाचार पत्र दूसरा प्रतिनिधि प्रायोजित करने के हकदार नहीं होंगे।

(च) प्रकाशन का मुख्यालय केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में होना चाहिए।

8. समाचार संगठनों/संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों के लिए मानदंड :

समाचार संगठनों/संचार माध्यमों की ओर से प्रत्यायन के लिए आवेदन करने वाले पत्रकारों को निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी चाहिए :-

8.1 पूर्णकालिक कार्यरत पत्रकार के रूप में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव तथा नियम 3.5 के अनुसार नियुक्ति हो। सरकारी प्रसार माध्यमों जैसे पत्र सूचना कार्यालय आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रदाता, दूरदर्शन समाचार, फोटो प्रसारण, जोर रात्रियों के सूचना एवं प्रसारण-सम्पर्क के विभागों तथा सूचना एवं प्रसारण विभाग, विदेशी प्रसारण में कार्य के अनुभव को प्रसारण के उद्देश्य के लिए समाचार पत्र में कार्य के अनुभव के समान समझा जायेगा।

8.2 प्रसारण को अवधि के दौरान उचित कार्य स्थल केन्द्रितित प्रदेश दिल्ली में होना चाहिए।

8.3 वह पत्रकार होना चाहिए तथा उते संवाददाता के रूप में पूर्णकालिक नियुक्त होना चाहिए।

8.4 उते भारत सरकार या राज्य सरकार के पत्र सूचना कार्यालय से प्रत्यापित नहीं होना चाहिए। किन्तु कुछ संवाददाता और फोटोग्राफर अपवाद हो सकते हैं।

8.5 दि. प्र. स. उत पत्रकार को प्रत्यापन देने पर विचार कर सकती है जो किसी विशेष समाचार संगठन से सम्बंधित न हो, परन्तु ऐसे व्यक्तियों का पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए तथा पत्रकारिता के कार्य से उतको प्रत्यापित आय 18000 रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे मानने तदर्थी अपवाद हो हो सकते हैं।

संवादक-संवाददाता

9.1 छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के सम्पादक जो संवाददाता के रूप में भी कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्पादक-संवाददाता के रूप में प्रत्यापित किया जा सकता है बशर्ते कि वे निम्नलिखित मापदण्ड पूर्ण करते हों :

(क) नियमों के अनुसार प्रत्यापन के लिए समाचार पत्र/पत्रिका की योग्यता।

(ख) आवेदक की संवाददाता के रूप में प्रत्यापन की योग्यता।

(ग) आवेदक को सार्वजनिक, के प्रतिरक्षित उत समाचारपत्र/पत्रिका में अपने नाम से प्रकाशित संवादों की कठोर प्रस्तुत करनी चाहिए जिसकी ओर से प्रत्यापन माना गया है।

(घ) सम्पादक-संवाददाता के रूप में प्रत्यापन, नियमावली से संलग्न अनुसूचि के अनुसार सम्बंधित समाचारपत्र/पत्रिका के प्रत्यापन के लिए निर्धारित संख्या के अन्तर्गत माना जाएगा।

10. प्रत्यापन की कार्यविधि

10.1 समाचार संगठन/संसार माध्यम का कोई प्रतिनिधि जो प्रत्यापन प्राप्त करना चाहता है, वह निदेशक, सूचना एवं प्रचार, दिल्ली प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करेगा। प्रवेश आवेदन पत्र सम्बंध समाचार पत्र/माध्यम संसार माध्यम की ओर से प्रत्यापन के लिए तैयार करने वाले सम्पादक के पत्र के साथ संलग्न होगा।

10.2 प्रत्यापन के लिए विचार केवल उन्हीं संसार माध्यम प्रतिनिधियों के आवेदनों पर किया जाएगा जो दिल्ली/नई दिल्ली से 25 किलोमीटर की दूरी तक रहते हैं।

10.3 सभी योग्यताओं की जांच के बाद आवेदन पत्रों को दि. प्र. स. के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसकी तैयारी पर प्रत्यापन दिया जाएगा।

10.4 प्रैस प्रत्यापन कार्ड, सू. प्र. निदेशक के हस्ताक्षर से एक क्लेन्डर वर्ष के लिए जारी किए जायेंगे तथा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचना/विवरण प्रस्तुत करने पर प्रत्येक वर्ष इनका नवीकरण किया जा सकता है।

10.5 यदि समाचार पत्र और संवाददाता दोनों योग्यता प्राप्त हो सूचना, एवं प्रचार निदेशक समिति की होने वाली अगली बैठक तक के लिए या दो महीने के लिए (जो भी कम हो) संवाददाता को अस्थाई तौर पर प्रत्यापन प्रदान कर सकता है। ऐसा अस्थाई प्रत्यापन है सम्पादक/समाचार संगठन के अनुरोध पर समाचार पत्र के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से बाहर भी जारी किया जा सकता है तथा निदेशक अस्थाई अवधि के लिए किसी प्रत्यापित संवाददाता के स्थान पर दूसरे संवाददाता को प्रत्यापन भी दे सकता है।

10.6 सूचना एवं प्रचार निदेशक उत मामलों में नियमित प्रत्यापन दे सकता है जिनमें किसी प्रत्यापित प्रतिनिधि ने अपना आवेदन किसी अन्य समाचार संगठन/संसार माध्यम की ओर से प्रस्तुत किया हो परन्तु किसी अन्य समाचार संगठन/संसार माध्यम की ओर से वह पहले से ही प्रत्यापित हो।

10.7 यदि दिल्ली प्र. प्र. स. किन्हीं कारणों से किसी आवेदक को प्रत्यापन न देने का निर्णय करती है तो आवेदक को और सम्बंधित समाचार संगठन/संसार माध्यम को इसकी सूचना दी जानी चाहिए और बैठक के के कार्यभार में वह निर्णय रिकार्ड किया जाना चाहिए।

10.8 आवेदक और/या समाचार संगठन प्रत्यापन अस्वीकार होने पर अपना पत्र प्रस्तुत करने के लिए दि. वि. प्र. स. को पुनः आवेदन कर सकता है।

11. प्रत्यापित संवाददाताओं की नियंत्रण

11.1 प्रत्यापित संवाददाताओं को एक प्रैस कार्य जारी दिया जाएगा। प्रैस संवाददाता सम्मेलनों में तथा विशेष समारोहों में प्रवेश नियंत्रण द्वारा ही होगा। सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली, प्रशासन के सचिवों/सोमार्थों तथा समारोह के विषय, जरूरत और कठोरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक पत्रों के संवाददाताओं को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

11.2 जहां पर किसी विशेष समारोह या संवाददाता सम्मेलन में समस्त प्रत्यापित संवाददाताओं को आमंत्रित करना संभव न हो, वहां पर सामान्यतः समाचार पत्रों के उत प्रत्यापित संवाददाताओं की बुलावा जाएगा जो सम्मेलन के विषय से सम्बंधित हों।

12 माप्यता निलम्बित करना/बाधित लेना

12.1 यदि कोई प्रत्यापित प्रतिनिधि पैर-पत्रकारी गतिविधियों में रत हो या उसका आचरण पत्रकारिता के मानदण्डों के अनुकूल न हो और असोमन्य हो तो उतकी माप्यता निलम्बित की जा सकती है। बाधित ले जा सकते हैं। लेकिन यह कार्यवाही दिल्ली प्रैस प्रत्यापन समिति के रूप से कम तीन सदस्यों या अधिक को सलाह से की जाएगी तथा समिति के सामने यथासमय प्रस्तुत की जायेगी।

12.2 यदि यह पाया गया कि किसी प्रत्यापित प्रतिनिधि ने अपने बारे में या अपने संगठन के बारे में गलत जानकारी दी है तथा प्रैस प्रत्यापन समिति सम्बंधित प्रतिनिधि को अपने बचाव से लिए समुचित अवसर देने के परचात संतुष्ट हो कि आरोप सही है, तो उसके प्रतिनिधि की माप्यता दो वर्ष तक के लिए निलम्बित की जाएगी/बाधित ले ली जायेगी तथा इस अवधि में वह पुनः माप्यता के लिए योग्य नहीं होगा/होयेगी। लेकिन यह निर्णय दि. प्र. स. को उत बैठक में लेना जायेगा, जिसमें समिति के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हों।

12.3 आपातकालिक स्थिति में दिल्ली प्रशासन प्रत्यापन सम्बंधी माप्यता और अमान्यता के सभी मामलों में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में स्वतन्त्र होगा।

13. पुनर्विचार

समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को दी गई मान्यता पर समय समय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

13.1. इस प्रकार के पुनर्विचार के लिए यदि आवश्यक हो, तो समाचार पत्र/संचार माध्यम से प्रसार, राश्व आदि संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है तथा प्रतिनिधियों को संबंधित समाचार पत्र/संचार माध्यम द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में छपे समाचार या फोटोग्राफ या अन्य विवरण की कतरने उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है।

13.2. दिल्ली प्रेस प्रत्यायन समिति प्रेस के विभिन्न क्षेत्रों की ओर की गई प्रत्यायन सम्बंधी मांगों की ध्यान में रखकर संवाददाताओं की सूची पर पुनर्विचार कर सकती है।

14. न्यूनतम उपस्थिति/कोरम

14.1. किसी बैठक के लिए समिति के सदस्यों को एक तिहाई संख्या कोरम के लिए पर्याप्त होगी। यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो बैठक स्थगित की जाएगी और उसी विषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई समिति की अगल बैठक में जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे कोरम के लिए पर्याप्त समझे जाएंगे।

15. प्रेस कार्डों का नवीनीकरण

15.1. प्रत्यायित प्रतिनिधि प्रतिवर्ष दिसम्बर माह में अपने कार्ड नवीकरण कराने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करेंगे।

15.2. यदि प्रेस कार्ड समापन तिथि के तीन मास के अन्तर नवीकृत नहीं किए जाते हैं, तो मान्यता समाप्त हो जायेगी।

आदेश से
आर. एल. धीवास्तव, उप सचिव (जनसम्पर्क)

अनुसूची

प्रत्यायन के प्रयोजनार्थ समाचार संगठनों/संचार माध्यमों का वर्गीकरण

प्रत्यायित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या	
1	
1. दैनिक	
क. 3,000 तथा 10,000 के बीच प्रसार	1
ख. 10,001 तथा 20,000 के बीच प्रसार	2
ग. 20,001 तथा 30,000 के बीच प्रसार	4
घ. 30,001 तथा 50,000 के बीच प्रसार	6
ङ. 50,001 तथा एक लाख के बीच प्रसार	10
च. एक लाख से ऊपर प्रसार	12
कैमरामैन अधिकतम 2 (दो) अतिरिक्त	
2. साप्ताहिक	
क. 3,000 तथा 10,000 के बीच प्रसार	1
ख. 10,000 से ऊपर प्रसार	2

3. समाचार एजेंसियाँ

निम्नलिखित समाचार एजेंसियों में से प्रत्येक समाचार एजेंसी 5 प्रतिनिधियों के लिए प्रत्यायन प्राप्त कर सकती है।

ए. एन. आई.
पी. टी. आई.
यूनिवार्ता
समाचार भारती
हिन्दुस्तान समाचार
आकाशवाणी (ग्राल इण्डिया रेडियो)
दूरदर्शन

4. समाचार चित्र एजेंसी/दूरदर्शन समाचार एजेंसी

समाचार चित्र एजेंसी/दूरदर्शन समाचार एजेंसी निम्न प्रकार से अपने प्रतिनिधियों के लिए प्रत्यायन प्राप्त कर सकेंगे।

(क) समाचार चित्र एजेंसी

15,000 रु. तथा 30,000 रु. के बीच कुल वार्षिक राजस्व 1
30,000 रु. से ऊपर कुल वार्षिक राजस्व 2

(ख) दूरदर्शन समाचार एजेंसी

30,000 तथा एक लाख के बीच कुल वार्षिक राजस्व 1 संवाददाता एवं
1 कैमरामैन

एक लाख रु. से ऊपर कुल वार्षिक राजस्व 1 संवाददाता एवं
2 कैमरामैन

(PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th September, 1986

No. F. 2/22/86-PRD.—The Administrator of the Union Territory of Delhi for the purpose of constitution of the Delhi Press Accreditation Committee and accreditation of Media Representatives within the Union Territory of Delhi is pleased to make the following rules namely :—

1. Short Title

These rules may be called the Delhi Press Accreditation Rules, 1986.

2. Commencement

2.1 These rules shall come into force with immediate effect.

2.2 These rules shall apply to the grant of accreditation by Delhi Administration in the Union Territory of Delhi to representatives of news media organisations.

2.3 These rules shall supersede all previous rules dealing with the accreditation of news media representatives to Delhi Administration, provided that news media representatives already accredited shall continue to remain so, until otherwise reviewed by the Delhi

Press Accreditation Committee in terms of the new rules.

2.4 Amendments.—These rules may be amended|altered|modified|added to on the recommendation of at least two third members of the Delhi Press Accreditation Committee if a proposal to this effect is made by at least three of its members or the Director, Information & Publicity.

3. Definitions

3.1 'Administrator' means Administrator of the Union Territory of Delhi appointed by the President of India under Article 239 of the Constitution of India.

3.2 'Delhi Press Accreditation Committee' means a Committee appointed by the Administrator of the Union Territory of Delhi to deal with the grant of accreditation to representatives of news media organisations.

3.3 'Newspaper' means any publication, printed and distributed at fixed intervals, which contains news and comments of public interest as defined in the Press and Registration of Books Act, 1867 but not a publication containing information of sectional interest, such as house journals.

3.4 'News Media' shall include wire services, non-wire services, audio and audio-visual network dealing with news of public interest or comments on news of public interest.

3.5 'Director, Information & Publicity' means the Director of Information & Publicity, Delhi Administration (hereinafter referred to as DIP).

3.6 'Working Journalist' means any working journalist as defined in the 'Working Journalists' conditions of Service and Miscellaneous Provisions Act, 1955 as amended from time to time.

3.7 'Accreditation' means recognition of news media representatives by the Administrator for purposes of access to sources of information in the Administration and also to news materials, written or pictorial, released by the Directorate of Information & Publicity and/or other agencies of Delhi Administration.

4. Constitution of the Delhi Press Accreditation Committee and conduct of the Business

4.1 The Administrator shall constitute a committee called the Delhi Press Accreditation Committee (hereinafter referred to as the DPAC) to discharge the functions laid down under these rules.

4.2 The DPAC shall consist of representatives of associations|organisations of working journalists and Editors recognised by the Press Council of India and Press Information Bureau and such other organisations as may be decided by the Administrator from time to time.

4.3 The DIP shall convene meetings of the DPAC and maintain all records and proceedings of their deliberations. At its first meeting, the members of the DPAC will elect the Chairman who will preside over the subsequent meetings. The first meeting will be presided over by the Protem Chairman.

4.4 The DPAC once constituted, shall function for a period of two years from the date of its notification.

4.5 The DPAC shall meet once every two months or more frequently.

5. Scope of Accreditation

5.1 Accreditation may be given in accordance with these rules to news-media representative of the following categories viz., Editor-cum-Correspondent, Correspondent, Cameraman, Cartoonist, Catographer, Sport-Journalist, Science-Journalist, Media Critic and such other categories, as may be recommended from time to time by the DPAC.

5.2 Accreditation shall not confer any official or special status on news-media representative, but shall recognise and identify him/her as a professional journalist dealing with news of public interest.

5.3 Accreditation shall be used only for journalistic purposes and for no other purpose.

5.4 An accredited representative shall not use the words "accredited to Delhi Administration" on Visiting Cards, letter heads on any other form of personal stationery or any other literature.

5.5 When an accredited representative ceases to represent the media organisation on whose behalf he/she is accredited, the fact shall be brought to the notice of the DIP in writing within one month by both the representative and the head of the editorial department of the organisation and the accreditation card shall be returned to DIP.

5.6 Accreditation shall be withdrawn if the organisation, on whose behalf the representative is accredited ceases its publication or the network ceases to function, except for a short period for reasons of industrial disputes or natural calamities.

5.7 The maximum number of representatives that may be accredited on behalf of a news media organisation shall be determined on the basis of the norms laid down in the Schedule attached to these rules.

5.8 An accredited representative may be given not more than one additional endorsement on behalf of another media organisation.

6. Eligibility criteria for news agencies

6.1 The following criteria will be taken into consideration for the grant of accreditation to representatives of news agencies, news photo agencies and Radio and Television news.

- (a) The contents of the items circulated|produced by agencies mentioned above should include news and information emanating from the Delhi Administration.
- (b) A news agency should use postal, telegraphic or electronic transmission and receiving facilities and should have paying subscribers in news media organisations spread over not less than six States & 12 paying subscribers.
- (c) A news-photo agency should have a minimum of six paying subscribers and a minimum annual subscription income of Rs. 15,000 and a Television Organisation Rs. 30,000 from news media organisations

as certified by an established firm of Chartered Accountants.

- (d) Wire agencies should provide services to news media organisations, including audio-visual networks on a regular commercial basis and shall produce certificate from an established firm of Chartered Accountants about their subscription income.

7. Eligibility Criteria for Newspapers

7.1 Newspapers upto weekly periodicity shall only be eligible to seek accreditation of working journalists on their behalf in accordance with the following criteria :—

- (a) The contents of the news papers should include news and information emanating from the Delhi Administration and shall mainly contain information and/or comments, features, illustrations etc. on current social, political, economic, scientific, cultural and other matters of public interest.
- (b) A daily newspaper shall be published not less than six days in the week.
- (c) A weekly newspaper shall be published not less than 45 weeks in a year.
- (d) The circulation of newspaper (daily or weekly) shall not be less than 3,000 copies per publishing day or per issue.
- (e) Two or more newspapers or periodicals having a combined circulation of not less than 5,000 copies may sponsor a common representative; provided that such newspapers shall not be entitled to sponsor a second representative.
- (f) Headquarter of the Publication should be within the Union Territory of Delhi.

8. Eligibility Criteria for News Media Representatives

Applicants seeking accreditation on behalf of media organisations should satisfy the following qualifications :—

8.1 Not less than three years experience as a full time working Journalist and regularly employed as defined in Rule 3.5; provided further that experience of work in a Government media organisation viz., Press Information Bureau, News Services Division of All India Radio, the News Unit of Doordarshan, Photo Division, State Departments of Information & Publicity, Delhi Administration may be deemed as equivalent to experience of work in a newspaper for the purpose of accreditation.

8.2 His/her place of work should be within the territorial limits of Union territory of Delhi during the period of accreditation.

8.3 He/she should be a journalist and employed whole time as a correspondent.

8.4 He/she should not be accredited to Press Information Bureau of Government of India or any State Government. Chief reporters and Photographers could, however, be exceptions.

8.5 The DPAC may consider the grant of accreditation to an applicant not attached to any particular news media organisation; provided that such a person has at least 20 years experience as a full time journalist and has a proven income of not less than Rs. 18,000 per annum from journalistic activities. Such cases could, however, be exceptional.

9. Editor-cum-Correspondent

9.1 Editor of a small and medium newspaper, who also works as correspondent, can be given accreditation as Editor-cum-Correspondent subject to fulfilling of following conditions :—

- (a) The newspaper/periodical concerned qualifies for accreditation as per the rules.
- (b) The applicant qualifies for grant of accreditation as correspondent.
- (c) The applicant submits clippings of published despatches apart from editorials, carrying his/her creditline appearing in the newspaper/periodical, on whose behalf accreditation is sought.
- (d) Accreditation as 'Editor-cum-Correspondent' shall be computed towards the quota of accreditation of the newspaper/periodical concerned, as per the Schedule attached to these rules.

10. Procedure for Accreditation

10.1 A media representative who wishes to seek accreditation shall apply to the Director, Information & Publicity, Delhi Administration, Delhi in a form as may be prescribed from time to time. Each application shall be accompanied by a letter from the Editor recommending accreditation on behalf of the news media organisation concerned.

10.2 Application for accreditation shall be considered only from these news media representatives who reside within a radius of 25 K.M. from Delhi New Delhi.

10.3 Applications for accreditation, complete in all respects, shall be placed before the DPAC and accreditation shall be granted on its recommendations.

10.4 Accreditation cards shall be issued under the signature of the DIP for a calendar year, and may be renewed from year to year on the submission of particulars in the prescribed form.

10.5 If both the news paper and correspondent qualify, Director of Information & Publicity may grant accreditation to Correspondent provisionally pending next meeting of the committee or for two months whichever is less. Such temporary accreditation could be issued outside the ceiling fixed for the newspaper on the request of the Editor, Editor/News-Editor, DIP may also accept substitution of an accredited correspondent desired for a temporary period.

10.6 The DIP may grant regular accreditation in cases in which a news media organisation has been represented by an accredited representative, who has been accredited earlier for another news media organisation.

10.7 If the DPAC, for reasons duly recorded in its minutes, decides not to grant accreditation to an applicant, the fact of such a decision shall forthwith be communicated to the applicant and the news media organisation concerned.

10.8 The aggrieved applicant and/or news media organisation shall be entitled to make a representation to the DPAC for reconsideration.

11. Invitations to Accredited Correspondents

11.1 A press card will be issued to each accredited correspondent's admission to special functions, including press conferences, however, will be governed by invitations Correspondents of weeklies will also have admission to press conferences, depending on the character and volume of coverage required and keeping in view the service limitations of the Directorate of Information & Publicity, Delhi Administration, Delhi.

11.2 Where it is not possible to invite all accredited correspondents to a special function or news conference, invitations would be extended on the basis of the subject with which the accredited correspondent of a Newspaper is concerned.

12. Suspension/withdrawal of Accreditation

12.1 The accreditation is liable to be suspended/withdrawn if an accredited representative is engaged in non-journalistic activities or conduct himself/herself in an unprofessional or undignified manner, provided that such action shall be taken in consultation with atleast three members or Chairman of the DPAC and placed before it in due course.

12.2 If an accredited representative is found to have given false information about himself/herself or about his/her organisation and if the DPAC, after giving a reasonable opportunity to the representative concerned to defend himself/herself, is satisfied that the charges are true, the accreditation may be suspended/withdrawn for a period not exceeding two years and during this period he/she shall not be eligible for the grant of further accreditation; provided that no decision to suspend/withdraw the accreditation of media representative shall be taken by the DPAC, except at a meeting attended by atleast half of its members.

12.3 In emergent cases, Administrator will be free to take any action warranted by circumstances in matters relating to accreditation and dis-accreditation.

B. Review

13.1 There shall be a periodic review of accreditation granted to news media representatives. For purposes of such a review, information regarding circulation, revenue, etc. may be called for, if necessary and media representatives asked to provide clippings of published despatches or photographs or dope sheets from the news media organisation concerned.

13.2 The DPAC may also review the list of accredited correspondents in the light of demands for accreditation from various sections of the press.

14. Quorum

14.1 One third of the members of the Committee present in any meeting will form the quorum and the

meeting will be adjourned if this quorum is incomplete. But any number of members present in the subsequent meeting will form the quorum, if it is convened to consider the business placed in the earlier meeting adjourned due to lack of quorum.

15. Renewal of Press Cards

15.1 The accredited representatives will apply on the prescribed form for renewal of their cards in the month of December every year.

15.2 The accreditation will lapse in case the press cards are not renewed within three months of the date of expiry.

By Order,

R. L. SRIVASTAVA, Dy. Secy. (Public Relations)

SCHEDULE

Classification of News Media for the Purpose of Maximum Entitlement

I. DAILIES:	Max. No. of accreditator
-------------	--------------------------

(a) Circulation between 3,000 and 10,000	1
(b) Circulation between 10,001 and 20,000	2
(c) Circulation between 20,001 and 30,000	4
(d) Circulation between 30,001 and 50,000	6
(e) Circulation between 50,001 and 1 lakh	10
(f) Circulation above 1 lakh	12

II. Cameramen: Maximum 2 (two) additional.
Weeklies

(a) Circulation between 3,000 and 10,000	1
(b) Circulation above 10,000	2

III. NEWS AGENCIES

Each of the following news agencies will be entitled for accreditation of 5 representatives:

U.N.I.
P.T.I.
Univarta
Samachar Bharti
Hindustan Samachar
All India Radio
Doordarshan

IV. NEWS PHOTO AGENCIES/TELEVISION NEWS AGENCIES:

News Photo Agencies/Television News Agencies will be entitled for accreditation of their representatives as given below:

(a) News Photo Agencies: Gross annual revenue Between Rs. 15,000 and 30,000.	1 correspondent/ cameraman
Gross annual revenue above Rs. 30,000.	2 correspondent/ cameraman
(b) Television News Agencies: Gross annual revenue between Rs. 30,000 and 1 lakh.	1 correspondent & 1 cameraman.
Gross annual revenue above Rs. 1 lakh	1 correspondent & 2 cameramen.

DELHI ADMINISTRATION: DELHI
(PUBLIC RELATION DEPARTMENT)

DATED: 28.4.89

NOTIFICATION

No.F.2/22/86/PRD:- The Administrator of the Union Territory of Delhi is hereby pleased to make the following rules further to amend the 'Delhi Press Accreditation Rules, 1986' namely:-

Short title and
Commencement

1. (1) These rules may be called
the Delhi Press Accreditation (Amendment)
Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in the
Schedule

2. In Delhi Press Accreditation Rules 1986,
for existing schedule appended thereto,
schedule given hereunder shall be substituted:-

SCHEDULE

CLASSIFICATION OF NEWS MEDIA FOR THE PURPOSED OF MAXIMUM
ENTITLEMENT.

1. DAILIES:	Max. No. of Accreditation.
(A) (a) Circulation between 3,000 and 10,000	1
(b) Circulation between 10,000 and 20,000	2
(c) Circulation between 20,001 and 30,000	4
(d) Circulation between 30,001 and 50,000	6
(e) Circulation between 50,001 and 1 lac	10
(f) Circulation above 1 lac.	12
(B) Cameraman	2 (in addition to above)
II. <u>EVENING DAILIES:</u>	
(A) (a) Circulation between 5000 but below 10,000	2
(b) Circulation between 10,001 and 20,000	3
(c) Circulation between 20,001 to 30,000	4
(d) Circulation between 30,001 to 50,000	6
(e) Circulation between 50,001 to 1 lac	10
(f) Circulation between 1 lac and above	12
(B) Cameraman	2 (in addition to above)

Contd.....2

III. WEEKLIES

- a) Circulation between 3,000 to 10,000
- b) Circulation above 10,000

IV. NEWS AGENCIES/NEWS ORGANIZATIONS

Each of the following news agencies will be entitled for accreditation of 8 representative :

- 1. U.P.I.
- 2. P.T.I.
- 3. Univarta
- 4. Bhasha
- 5. All India Radio
- 6. Doordarshan

V. NEWS PHOTO AGENCIES/TELEVISION NEWS AGENCIES

News Photo agencies/Television News agencies will be entitled for accreditation of their representative as given below :

- a) News Photo Agencies : Gross Annual Revenue between Rs.15,000 and 30,000. 1 Correspondent/
Cameraman
- Gross annual revenue above Rs.30,000. 2 Correspondent/
Cameraman
- b) Television News Agencies
- Gross annual revenue between Rs.30,000 and 1 lac. 1 Correspondent/
& 1 Cameraman.
- Gross annual revenue above Rs.1 lac. 1 Correspondent/
& 2 Cameraman

By order and in the name
of the Administrator of
the Union Territory of
Delhi.

sd/-

(M.L. VIJAY)
DEPUTY SECRETARY (PUBLIC RELATIONS)
DELHI ADMINISTRATION: DELHI